


सीगा कैविएट प्रार्थना पत्र 148 ए सीपीसी (सरफेसी एक्ट) प्रकरण संख्या 34/2021 (GCMS 2021/98) विमला देवी पत्नी भूषण गोयल पुत्री हरभगवान दास, जाति अग्रवाल, निवासी पदमपुर हाल निवासी वार्ड नम्बर 19, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. HDFC Bank जरिये Department for Special Operations 2th floor, Indian Express Building 9-10 Bahadurshah Zafar Marg, ITO, New Delhi-110002; जरिये स्थानीय शाखा HDFC Bank जरिये मैनेजर स्थित प्रब्लिक पार्क, के सामने पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 2. उषा रानी पत्नी श्री प्रेमचंद जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 14, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर



26.07.2021

प्रार्थी अभिभाषक श्री विशाल मक्कड़ ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत यह कैविएट प्रार्थना एच.डी.एफ.सी. बैंक के विरुद्ध पेश किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता को कैविएट प्रार्थना पत्र के एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अहाता संख्या 13 बी ब्लॉक पदमपुर स्थिति प्रार्थीया की माता श्रीमती विद्या देवी की सम्पत्ति थी। अप्रार्थीया व संदीप तथा राहुल ने उक्त सम्पत्ति की वसीयत फर्जी रूप से विद्या देवी से अपने पक्ष में करवा ली जिसके सम्बन्ध में एक वाद प्रार्थीया द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, श्रीकरणपुर के न्यायालय में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश भी पारित किया हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उषा रानी द्वारा एचडीएफसी बैंक, पदमपुर से उक्त सम्पत्ति को बैंक को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 उषा रानी ने अप्रार्थी संख्या 1 से साजिश करके बैंक के ऋण की अदायगी नहीं की है ताकि अप्रार्थी बैंक प्रार्थी की किरायेदारी समाप्त कर विधि विरुद्ध तरीके से उक्त किरायाधीन परिसर का कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बैंक द्वारा धारा 13(2) सरफेसी एक्ट अन्तर्गत ऋणी व गारंटर को नोटिस दिया जा चुका है परन्तु ऋणी व गारंटर द्वारा बैंक की ऋण राशि की अदायगी नहीं की जा रही है ताकि बैंक की आड़ में किरायेधीन परिसर से प्रार्थी की बेदखली की जा सके। ऐसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध सम्भावित धारा 14 सरफेसी एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैंने उक्त बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा धारा 14 सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक प्रार्थिया विमला देवी के विरुद्ध अभी तक कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 18 सी(1) का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार से है :

18C. Right to Lodge a Caveat :

(1) Where an application or an appeal is expected to be made or has been made under sub-section(1 of section 17 or section 17A or sub-section1) of section 18 or section 18B, the secured creditor or any person claiming a right to appear before the Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court as the case may be, on the hearing of such application or appeal, may lodge a caveat in respect thereof.

(2)

चूंकि सरफेसी एक्ट 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम की उक्त धारा 18सी के तहत Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court के समक्ष ही कैविएट प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार से कैविएट प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश करने का कोई कानूनी प्रावधान विद्यमान नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का कैविएट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। कैविएट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर